55

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

मनीष V/s चन्द्राराम

227/2024/225

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2024/227 पन्नालाल चौधरी 1,3,5 श्री नवीन गुर्जर ADV. श्री [illegible] GA-6,7	
8/1/25	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. 6,7 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है, तलब रिकॉर्ड रखा जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार नोटिस रेस्पो. स. 2,4 व इन्तजार रिकॉर्ड दिनांक 19/2/25 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
19/2/25	राजस्व बार संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते इन्तजार नोटिस रेस्पो. सं. 2,4 व इन्तजार रिकॉर्ड दिनांक 7/4/25 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
7/4/25	पत्रावली पेश की गई। वकलाय उप. अधी. न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है, पुनः तलब किया जावे। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते इन्तजार नोटिस रेस्पो. स. 2,4 व तलबी रिकॉर्ड दिनांक 23/5/25 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	[illegible] 17/4/25
23/5/25	पत्रावली पेश की गई। वकलाय उपन. पत्रावली वास्ते इन्तजार नोटिस रेस्पो सं 2,4 व इन्तजार रिकॉर्ड दिनांक 26/5/25 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
26/5/25	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट उप. नहीं। अभिभाषक रेस्पो स. 01 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को कई बार रुक-रुक कर आवाजें दिलाई गई, किन्तु उपस्थित नहीं हुए। अतः अपील अपीलांट अदम हाजरी - अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली मिसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर

अपील टी.ए.संख्या......227/2024 जिला दूदू

मनीष पुत्र नन्दलाल हाल निवासी मण्डा भीमसिंह, तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

—— अपीलांट

बनाम्

1. चन्द्राराम पुत्र नरसीराम
2. नन्दलाल पुत्र चन्द्राराम
3. किशनाराम पुत्र चन्द्राराम
4. किरण पुत्री नन्दलाल
5. रामकन्या देवी पत्नि किशनाराम

सभी जाति जाट निवासी पानवाकलां तहसील व जिला दूदू।

6. राजस्थान सरकार तहसीलदार दूदू।
7. उप पंजीयक दूदू।

—— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, दूदू दिनांक 18.9.2024 जो प्रकरण संख्या 9/2023 उनवानी मनीष बनाम् चन्दाराम व अन्य में पारित किया गया।

मानयवर,

अपीलांट की ओर से निम्न निवेदन हैः—

(अ) यह कि अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक वाद खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, दूदू के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल खाता संख्या 195 की आराजी खसरा संख्या 535 रकबा 2.86 हैक्टर कुल

Scanned with CamScanner